अध्याय VIII: भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

8.1 सीवीसी और आंतरिक दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण परिहार्य व्यय हुआ

भेल ने सीवीसी दिशानिर्देशों और अपनी स्वंय की खरीद नीति का उल्लंघन करते हुए मूल्य बोलियों के खोले जाने के बाद विक्रेता की तकनीकी स्वीकार्यता पर प्रश्न उठाया और विक्रेता के संबंध में लगातार प्राप्त हो रही सकारात्मक जानकारी को अनदेखा किया जिससे विलंब, मूल्य बोली अवैध होना तथा पुनः निविदाकरण हुआ। अत: पुन: निविदाकरण में भेल को ₹ 5.57 करोड़ का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की इकाई, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लाँट (हीप) हरिद्वार, ने कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल (सीएनसी) लेथ मशीन की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की (मई 2009)। प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, पांच बोलीकर्ता तकनीकी रूप से स्वीकार्य पाए गए (फरवरी 2010)। इसके बाद रिवर्स आक्शन की गई जिसमें पाँचों बोलीकर्ताओं ने भाग लिया। एल1[1] बोलीकर्ता ने मशीन के लिए ₹6.87 करोड़ मूल्य उद्धत किया (19 फरवरी 2010)।

इस चरण पर, एल1 तथा एल2 की राशि के बीच के बृहत मूल्य अंतर को देखते हुए हीप, भेल ने अपने शंघाई कार्यालय के माध्यम से मशीन से संबंधित संगत तथ्यों के सत्यापन हेतु निर्णय लिया (27 फरवरी 2010), क्योकि एल2 ने एल1 मूल्य का लगभग दोगुना उध्दत किया था (₹12.84 करोड़ पर)। भेल के चीन स्थित कार्यालय ने मशीन का प्रयोग कर रहे पूर्व ग्राहक से पुष्टि की, एल1 बोलीकर्ता के दो कारखानों में जाकर जांच की और संतोषजनक रिपोर्ट भेजी। हीप, भेल ने भी पिछले ग्राहकों से जानकारी स्वतंत्र रूप से प्राप्त की तथा उन्होंने बताया की मशीन संतोषजनक रूप से कार्य कर रही थी। किंतु हीप, भेल, संतुष्ट नहीं हुआ और इसने मशीनरी के उपभोक्ताओं से वस्तुगत सत्यापन करने हेतु चीन में तकनीकी दल भेजने का निर्णय लिया। इस दौरान विक्रेता ने प्रस्ताव की वैधता दो बार बढ़ा दी (31 मई 2010 से 15 जुलाई 2010) और भेल के तकनीकी दल को 05 और 24 जुलाई 2010 के बीच निरीक्षण करने का भी आमंत्रण दिया। किंतु चूंकि वीज़ा और अन्य संचालन का प्रबंध करने की आंतरिक प्रशासनिक औपचारिकताएँ समय पर पूरी नहीं की जा सकीं, अतः भेल ने 31 अगस्त 2010 तक प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने और 22 जुलाई से 21 अगस्त 2010 तक संशोधित आमंत्रण हेतु अनुरोध किया। विक्रेता ने यह कहते हुए

[1] *सर्वश्री टियानशुई स्पार्क मशीन टूल कम्पनी लिमिटेड, चीन*

आगे समय देने से मना कर दिया कि उन्होंने अपनी बोली लगभग एक वर्ष तक रोक रखी थी और वे उसी मूल्य पर मशीन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे।

खरीद हेतु पुनः निविदा 20 अगस्त 2010 को जारी की गई थी। भूतपूर्व एल1 बोलीकर्ता को निविदा में भागीदारी के लिए अनुमत नहीं किया गया क्योंकि उसने पिछली बार बोली की वैधता बढ़ाने से मना कर दिया था। पिछली बोली में एल2 बोलीकर्ता पुनः निविदाकरण में न्यूनतम बोलीकर्ता के रूप में आया और इस विक्रेता को मार्च 2011 में ₹12.44 करोड़ पर खरीद ठेका प्रदान कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भेल के आंतरिक दिशानिर्देशों, यथा कारपोरेट खरीद नीति 1998 और सामग्री/सेवाओं की खरीद हेतु निविदाकरण प्रक्रिया 2011 के अनुसार, तकनीकी सह वाणिज्यिक प्रस्ताव को पहले खोला जाएगा, चर्चा की जाएगी और अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद ही तकनीकी रूप से स्वीकार्य विक्रेता की मूल्य बोली को खोला जाएगा। 'निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता' पर सीवीसी दिशानिर्देश' (दिसंबर 2004) में भी इस बात पर बल दिया गया कि पारदर्शिता और न्यायसंगतता बनाए रखने के लिए, यह उपयुक्त होगा कि संगठन बोलीकर्ता फर्मो के साथ तकनीकी वार्ताओं से पहले या वार्ता के दौरान अर्हक मापदंडों के संदर्भ में उनकी स्वीकार्यता को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करें। 'ठेकों के दिए जाने में अनियमितताओं' पर सीवीसी दिशानिर्देशों (सितंबर 2003) में भी इस बात पर बल दिया गया है कि अर्हक-पूर्व मापदंड, निष्पादन मापदंड और मूल्यांकन मापदंडों को स्पष्ट व पारदर्शी रूप से बोली दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए और केवल उन्हीं विक्रेताओं के मूल्य बोलियाँ खोली जानी चाहिए जो कि तकनीकी रूप से योग्य हों। भेल द्वारा शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया, निविदा का पश्च मूल्यांकन का विक्रेताओं की तकनीकी योग्यता के आकलन की प्रक्रिया के पूर्व या उसके दौरान पर्याप्त रूप से समाधान किया जाना चाहिए था। तकनीकी रूप से स्वीकार्य विक्रेताओं की मूल्य बोलियों के खोलने के बाद प्रस्तावित मशीनरी की निष्पादन विशेषताओं को जानने का निर्णय सीवीसी दिशानिर्देशों और भेल की खरीद नीति के विपरीत था।

प्रबंधन ने कहा (जून/दिसंबर 2015) कि हालांकि एल1 और एल2 विक्रेताओं के बीच बृहत मूल्य अंतर के कारण तकनीकी मूल्यांकन बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर पूरी की गई थी, और विक्रेता से पहली खरीद होने के कारण, उनके द्वारा मशीन के प्रचालनात्मक निष्पादन की जांच व पुष्टि किया जाना विवेकपूर्ण था। हालांकि भेल के चीन स्थित कार्यालय ने एल1 विक्रेता को क्रय आदेश प्रदान करने की सिफारिश की थी, तथापि मशीन के प्रचालनात्मक निष्पादन का भौतिक सत्यापन नहीं देखा जा सका था और इसे देखने तक निर्णय न लिया जाना विवेकसंगत माना गया था। किंतु निरीक्षण पूर्ण करने के

प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि विक्रेता ने प्रस्ताव की वैधता नहीं बढ़ाई। भेल ने यह भी कहा कि क्रय आदेश देने के लिए न्यूनतम मूल्य ही सदैव एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य बोलियाँ खोलने के बाद मशीन की निष्पादन विशेषताओं का आंकलन करने का निर्णय सीवीसी दिशानिर्देशों और भेल की खरीद नीति का उल्लंघन करता था। इसके अलावा, भेल ने मशीन के निष्पादन संबंधी सकारात्मक जानकारी तथा विक्रेता की विश्वसनीयता संबंधी अपने शंघाई कार्यालय और विक्रेता के अन्य ग्राहकों से प्राप्त स्वतंत्र सूचनाओं पर भी विचार नहीं किया। भेल निविदा की वैधता अवधि को दो बार बढ़ाए जाने के बाद भी प्रस्तावित मशीनरी के प्रचालनात्मक निष्पादन का निरीक्षण करने में भी असफल रहा।

अतः कारपोरेट खरीद नीति 1998, सामग्री/सेवाएँ की खरीद हेतु निविदाकरण प्रक्रिया, 2011 तथा सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, तथा विक्रेता, मशीन तथा उसके निष्पादन की विश्वसनीयता के संबंध में सकारात्मक जानकारी मिलने के बावजूद मूल्य बोली खोलने के बाद मशीन की तकनीकी स्वीकार्यता पर प्रश्न उठाने के कारण, भेल ने ₹5.57 करोड़ (₹ 12.44 करोड़ - ₹6.87 करोड़) का परिहार्य व्यय वहन किया।

मामला नवंबर 2016 को मंत्रालय को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2017)।